

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक : २० /

वाद सं० सी-०१७९/एस-११/२०२६

दिनांक: ०५/५/२०२६

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि श्री अमीत एवं अन्य, जी०एम०एस० रोड, निकट मंडी, देहरादून द्वारा स्थल पर रोड वाइडिंग एरिया को प्रभावित करते हुए लगभग १२ गुणा २२ फीट क्षेत्रफल में दो दुकानों का निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३) संशोधन अधिनियम-२००९, की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राधिकरण में वाद सं० सी-०१७९/एस-११/२०२६ योजित किया गया। उक्त समस्त अनाधिकृत निर्माण को दिनांक ०८/०५/२६ को सील किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को सीलिंग की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

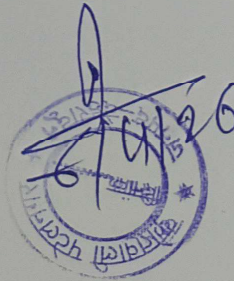
संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:—१. नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र सं० १२०५/विविध-जे०ए०/२०२४ दिनांक -०७.११.२०२४ द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग हेतु नामित किया गया है अतः उक्त तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

२. थानाध्यक्ष पटेलनगर को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल) उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

३. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि पर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

४. नाजिर को इस निर्देश के साथ के दो वाहन, सीलिंग से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



संयुक्त सचिव / पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।